रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012020-215341
CG-DL-E-11012020-215341

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2020/पौष 19, 1941
No. 115] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2020/PAUSHA 19, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2020

का.आ. 125(अ).—पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण तथा तटीय किनारों और समुद्र जल में प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं उसे कम करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय रुप से मान्यताप्राप्त “ब्ल्यू फ्लैग” प्रमाणन के प्रयोजन के लिए समुद्र तटों की पहचान करने का विनिश्चय किया है ;

कठोर “ब्ल्यू फ्लैग” प्रमाणन मानक के लिए उत्तरदायी और संधारणीय सुविधाएं तथा अवसंरचनात्मक विकास, सफाई, सुरक्षा सेवाएं आदि आवश्यक हैं;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता को जनहित में अभिमुक्त करती है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 2502(अ), तारीख 12 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित आदेश के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप

किया गया है, ऐसे परिलक्षित समुद्र तटों में ब्ल्यू फ्लैग प्रमाणन के प्रयोजन के लिए एच टी एल से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी बनाए रखने के अधीन द्वीप सहित समुद्र तटीय विनियम क्षेत्र (सी आर जेड) में निम्नलिखित क्रियाकलापों और सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी, की घोषणी करती है:-

(क) वहनीय शौचालय ब्लाक, कपड़े बदलने वाले कमरे, शावर पैनल;

(ख) ग्रे वाटर ट्रीटमैंट प्लांट;

(ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्लांट;

(घ) सौर शक्ति प्लांट;

(ङ) शोधित पेय जल सुविधा;

(च) समुद्र तट तक पहुंच मार्ग;

(छ) दृश्य भूमि प्रकाश;

(ज) बैठने की बेंच और सिट-आउट छाते;

(झ) आउटडोर खेल/स्वस्थता उपकरण;

(ञ) सी सी टी वी निगरानी और नियंत्रण कक्ष;

(ट) प्राथमिक चिकित्सा स्टेशन;

(ठ) अमानती सामान घर;

(ड) वाच टावर सुरक्षा और तटीय सुरक्षा उपकरण;

(ढ) समुद्र तट अभिन्यास, पर्यावरण सूचना बोर्ड और अन्य निर्देशक;

(ण) बाड़ा लगाना, वानस्पतिक अधिमानता;

(त) पार्किंग सुविधा;

(थ) प्रवेश द्वार, पर्यटक सुविधा केन्द्र ; और

(द) ब्ल्यू फ्लैग प्रमाणन की अपेक्षाओं के अनुसार, अन्य संबद्ध सुविधाए या अवसरंचना।

टिप्पण: ऊपर वर्णित क्रियाकलाप और सुविधाएं क्रमशः सी आर जेड अधिसूचना, द्वीप सुरक्षा क्षेत्र अधिसूचना और समुद्र तटीय द्वीप विनियम क्षेत्र अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व समाशोधन से छूट प्राप्त होंगी।

[फा. सं. 19-27/2015-आईए-III (पी टी)]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 9th January, 2020

S.O. 125(E).—Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, with a view to protect and conserve the environment and control and abate pollution in coastal beaches and sea waters, has decided to identify beaches for the purpose of internationally recognised "Blue Flag" Certification;

Whereas the stringent "Blue Flag" Certification Standards call for responsible and sustainable amenities and infrastructure development, cleanliness, safety and security services etc.;